कार्यालय : मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट , बांसवाडा–राजस्थान

क्रमांक : स्था0 / 25 / दिनांक : 28.02.2025

–: कार्यालय आदेश :– # 209

मैं **पूरण सिंह, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, बांसवाडा** एतद्द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 13(2) के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदेश देता हूँ कि **माह मार्च 2025** में राजकीय अवकाश दिवसों पर रिमाण्ड व अन्य आवश्यक कार्य अधोलिखित सूची अनुसार न्यायिक अधिकारियों द्वारा सम्पादित किये जायेंगे। इसके अतिरिक्त रिमाण्ड अधिकारी द्वारा विधि अनुसार मृत्युकालिक कथन लेखबद्ध करने एवं कस्टोडियल डेथ की मजिस्ट्रेट जॉच के कार्य भी सम्पादित किये जायेंगे।

माह मार्च, 2025

क्र.सं.	दिनांक एवं अवकाश	रिमाण्ड अधिकारी	सम्पर्क नंबर
1.	02.03.2025 रविवार	श्रीमती रजनी कुमावत, ए.सी.जे.एम बांसवाडा	श्री रकमचंद रीडर 9166900205
2.	08.03.2025 द्वितीय शनिवार 09.03.2025 रविवार	श्री मुकेश कुमार मीणा, जे.एम बांसवाडा	श्रीमती सविता चौधरी रीडर 6376079274
3.	13.03.2025 होली अवकाश 14.03.2025 होली अवकाश	श्री अरूण प्रकाश आर्य, ए.सी.जे.एम बागीदौरा,	श्री धनन्जय रीडर 9413305447
4.	16.03.2025 रविवार	श्रीमती पल्लवी बोहरा, ए.जे.एम बांसवाडा	श्री संदीप रीडर 8949344406
5.	22.03.2025 चतुर्थ शनिवार 23.03.2025 रविवार	श्री यशवंत आमेरिया, ए.सी.जे.एम कुशलगढ	श्री शिवसिंह चौधरी रीडर 7568783211
6.	30.03.2025 रविवार 31.03.2025 **Idul-Fiter** अवकाश	श्रीमती अश्लेषा, जे.एम गढी	श्री जयेश रीडर 9413018180

नोट–:–

1. रिमाण्ड **ड्यूटी उक्त दिनांक के पूर्व कार्य दिवस को न्यायालय समय पश्चात् से आरम्भ होगी** एवं आगामी कार्य दिवस को न्यायालय समय पूर्व तक रहेगी तथा किन्ही परिस्थितियों में **आगामी दिवस का अवकाश घोषित होने पर** उस दिन व उस दिन से आगामी कार्यदिवस के कार्यालय समय प्रारम्भ होने तक आवश्यक फौजदारी कार्य का सम्पादन उसी अधिकृत अधिकारी के द्वारा किया जावेगा।

2. उपरोक्त अवधि में किसी पीठासीन अधिकारी का **स्थानान्तरण** हो जाता है **अथवा** पीठासीन अपरिहार्य राजकार्य से यथा **ट्रेनिंग** आदि में मुख्यालय से बाहर जाने पर **अथवा** किसी कार्य दिवस पर तात्कालिक रूप से **अवकाश घोषित** कर दिए जाने की अवस्था में उस दिवस से पूर्ववत अवकाश दिवस पर रिमाण्ड ड्यूटी सम्पादित करने वाले अधिकारी द्वारा रिमाण्ड ड्यूटी संपादित की जावेगी।

3. प्रत्येक उक्त न्यायिक अधिकारी से यह अपेक्षा की जाती है कि वह उक्त तिथियों पर अपने मुख्यालय पर उक्त कार्य निष्पादन हेतु उपलब्ध रहेंगे। किसी विशेष परिस्थिति में माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बांसवाडा से पूर्व अनुमति लेते हुए वैकल्पिक व्यवस्था के बारे में इस कार्यालय को सुझाव देते हुए ही मुख्यालय छोड सकेंगे।

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बॉसवाड़ा (राज.)

क्रमांक : स्था0 / 25 / 219–220 दिनांक : 28.02.2025

प्रतिलिपि :–

1– माननीय जिला एवं सेशन न्यायाधीश महोदय, बॉसवाड़ा को सूचनार्थ ।
2– श्रीमान् पुलिस अधीक्षक, बॉसवाड़ा को प्रेषित कर लेख है कि बॉसवाड़ा जिले के समस्त पुलिस अधिकारियों, पुलिस थानों को इस आदेश से सूचित करावें ।

प्रतिलिपि अधोलिखित को जरिए इंटरनेट माध्यम प्रेषित है:– / 221

1– अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट बांसवाड़ा / घाटोल / कुशलगढ / बागीदौरा
2– न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम वर्ग बॉसवाड़ा / गढ़ी / बागीदौरा / आनन्दपुरी
3– अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट–प्रथम वर्ग बॉसवाड़ा
4– न्यायाधिकारी ग्राम न्यायालय गढ़ी / तलवाडा

मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट,
बॉसवाड़ा (राज.)